कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,सहरसा

सहरसा जिलान्तर्गत प्राकृतिक आपदा में बाढ एवं महामारी चिकित्सा सहायता के लिए वर्ष 2019 का कार्य योजना

1. वर्ष 2019 में सहरसा जिला में आए बाढ के प्रकोप से यह स्पष्ट हो गया है कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावित हैं , जो निम्नलिखित है :–

क्र0	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जनसंख्या
1	सिमरीबख्तियारपुर	2,18,425
2	नवहट्टा	1,37,891
3	सलखुआ	1,03,071
4	बनमा –ईटहरी	70,444
5	महिषी	1,84,232
6	सोनवर्षा	1,76,346
7	सौरबाजार	1,61,285
8	पतरघट	97301
9	सदर	124015
10	पंचगछिया	129862

2. सहरसा जिलान्तर्गत बाढ प्रभावित क्षेत्र को निम्नांकित दो भागों में (जोन) में बंटवारा किया जाता है। सामने अंकित पदाधिकारी उस क्षेत्र के प्रभारी होंगे । संचालन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा तथा नियंत्रण पदाधिकारी सिविल सर्जन,सहरसा होंगे।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	अनुमण्डल का नाम
01	जिला वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी, सहरसा	सदर अनुमण्डल
02	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, सहरसा	सिमरीबख्तियारपुर

3. प्रभावित बाढ से निपटने के लिए प्रखण्ड मुख्यालय अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलन्त औषधालय कार्यरत है । प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा अपने प्रखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्टैटिक दल का गठन किया गया है। स्टैटिक दल वैसे स्थान पर कार्यरत रहेगें, जो उॅचे स्थान पर है तथा उनके अधीनस्थ पड़नेवाले गॉवों/पंचायत का भ्रमण कर दल कार्य करेगें । बाढ प्रभावित क्षेत्रों में चलन्त औषधालयों/स्टैटिक दल का स्थापना किया गया है जिसमें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। (सूची संलग्न)
4. बाढग्रस्त क्षेत्र अन्तर्गत दुर्गम स्थानों में जाने के लिए प्रत्येक प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को नाव की आपूर्ति करने की दिशा में जिला पदाधिकारी ,सहरसा से आग्रह किया जा रहा है,ताकि बाढ प्रभावित दुर्गम स्थानों में चिकित्सा व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाये।
5. जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बाढ नियंत्रण कक्ष खोला गया है । जिसका दूरभाष संख्या 223431 है । जिस पर सूचना दी जा सकती है।

6. बाढ के समय में आकस्मिक कार्यों से निवटने हेतु जिला मुख्यालय में एक चलन्त इकाई का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित चिकित्सक एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिसकी सेवा आवश्यकतानुसार ली जाएगी।

(क)डा0 राम सेवक राम,
अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मु0चि0पदा0, यक्ष्मा के0सहरसा
(ख)श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह, फर्मासिस्ट, सम्प्रति सिविल सर्जन का0 सहरसा
(ग)श्री चन्द्रशेखर सिंह, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, चलन्त इकाई, सहरसा
(घ)श्री पंकज मंडल, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, चलन्त इकाई, सहरसा

7. जिला का नक्शा जिसमें बाढग्रस्त क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध है । साथ ही सभी बाढ प्रभावित प्रखण्डों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड का नक्शा उपलब्ध रखें,जिसमें बाढग्रस्त क्षेत्र स्पष्टतः दर्शाया हुआ हो ।

8. बाढ से संबंधित सूचनाऐं निम्नांकित माध्यमों से यथा विशेषदूत द्वारा /दूरभाष द्वारा एवं वेतार संवाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा, आई0डी0एस0पी0, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा एवं संबंधित पदाधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित किया जाएगा । आई0डी0एस0पी0 , जिला स्वास्थ्य समिति, सहसा महामारी/बाढ़ से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं संबंधित पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में भेजा करेंगे।

9. स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती का प्रश्न बाढ़ के बाद आता है। बाढ का असर कम होने एवं पानी सुखने पर विभिन्न प्रकार की बिमारियों/कुपोषण तथा महामारी की संभावना बढ जाती है। अतः

(i)माह मई–जून में हीं पेय जल श्रोतों जैसे– कुँआ, चापाकल एवं अन्य पेयजल श्रोत की पहचान कर लेगें, जिसे सर्वसाधारण पेय जल के लिए इस्तेमाल करते हैं ।

(ii)बाढ से पहले प्रत्येक कुँओं का शुद्धिकरण ब्लीचींग पाउडर द्वारा महीने में एक बार माह,मई–जून से हीं शुरु किया जाएगा लेकिन बाढ एवं जल जमाव से प्रभावित पेयजल श्रोतों में शुद्धिकरण कार्य प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा।

(iii) जिले में पेयजल की सुविधा केवल चापाकल या अन्य पानी पीने का श्रोत है और उसका जल भी बाढ के पानी/जल जमाव से प्रभावित है उस क्षेत्र का पानी के शुद्धिकरण हैलोजेन टिकिया से की जाएगी। अतः सभी ए0एन0एम0 एवं आषा को पर्याप्त मात्रा में हैलोजेन टिकिया की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय ।

(iv)प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रचार–प्रसार के माध्यम से संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल–जनित बीमारियों से संबंधित निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलायेगें ।

(v)जिला/प्रखण्ड के स्वच्छता निरीक्षक / खाद्य सुरक्षा अधिकारी पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेगें तथा उसकी जॉच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/ चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में कराएगें ।

(vi)विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल जनित अतिसार के इलाज के लिए 80 प्रतिशत ओ0आर0एस0 के घोल के माध्यम से करने की अनुशंसा की है एवं 20 प्रतिशत बीमारी के लिए ट्रान्सफ्यूजन एवं अन्य दवाइयाँ आवश्यक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव में ओ0आर0एस0 डीपो यथासमय खोल दिया जाए तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओ0आर0एस0पैकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

(vii)दवा की आपूर्ति सिविल सर्जन कार्यालय,सहरसा से कर दी गई है । संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे ससमय सभी दवा की आपूर्ति स्टैटिक दल, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों /अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कर दें ताकि सभी आवश्यक दवा बाढ़ के समय अगर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो भी दवा अनवरत आम जनता को उपलब्ध होता रहे । निम्नलिखित दवा निश्चित रुप से उपलब्ध रहना है , इसके अलावे चर्म रोग आदि की भी दवा आवश्यकतानुसार उपलब्ध रखेगें ।

1.ओ0आर0एस0
2.5% ग्लुकोज सलाइन
3.नौर्मल सलाईन
4.रिंगर लैक्टेट
5.सिप्रोफ्लोक्सासिन टैव
6.पारासिटामोल टैव
7 डाइसाइक्लोमिन +.पारासिटामोल टैव
8.मेट्रोनिडाजोल टैव
09. एन्टी इमेटिक दवा
10. डेक्सामेथासोन
11.ट्रान्सफयूजन सेट
12. गॉज/बेनडेज
13.ब्लीचींग पाउडर
14.चूना /गैमेक्सीन
15.हैलोजन टैबलेट
16.ए0आर0भी
17.ए0एस0भी0एस0

(viii)जल जमाव/ बाढग्रस्त क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी घुस जाने से साँप बाहर आ जाते हैं जिससे सर्पदंशित मरीजों की संख्या बढ जाती है । अतः चिकित्सा पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे सर्पदंष की दवाइयों का उपयोग आवश्यकतानुसार करेंगे। जिन प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पास सर्पदंष की दवा नहीं हो वे अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।जिस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक कार्यरत हैं वहाँ पर ए0भी0एस0 की आपूर्ति प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(ix) नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें एवं गर्भवति महिलाओं की पहचान पूर्व से हीं कर ली जाय एवं इसके लिए डिलेभरी कीट एवं मैटरनिटी हट की व्यवस्था भी कर लेगें ।

(x)विभिन्न गन्दी जगहों पर चूना तथा गेमैक्सीन का छिड़काव 10:1 के अनुपात में करना चाहिए।

(xi)महामारी के क्षेत्रों में गंदगी की सफाई तथा व्यक्तिगत सफाई के संबंध में आम लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए।

(xii)मल त्याग हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बोर होल लैट्रिन/अस्थायी लैट्रिन की सुविधा उपलब्ध किया जाना चाहिए।

11. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी / कर्मचारी को अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी / कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिलाधिकारी महोदया, सहरसा से प्राप्त करेगें । बाढ़/महामारी के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी / स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थिति रहेगें तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

ह0/–

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा।

ज्ञापांक 1077 सहरसा,दिनांक 09.06.19

प्रतिलिपि सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के श्री माधव खॉ ,सहायक/श्री प्रेम कुमार 'प्रेम' ,भण्डारपाल /श्री भारतेन्दु शेखर,सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।

प्रतिलिपि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,सहरसा जिलान्तर्गत/ जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, सहरसा /जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, सहरसा/जिला प्रसार एवं मिडिया पदाधिकारी ,सहरसा/ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,सहरसा/ जिला मलेरिया पदाधिकारी,सहरसा/जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, सहरसा / उपाधीक्षक, सदर अस्पताल,सहरसा/अधीक्षक,सदर अस्पताल ,सहरसा/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/ आई0डी0एस0पी0इकाई, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अपने स्तर से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी को संसूचित कर देगें ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी ,सदर एवं सिमरीबख्तियारपुर/अपर समाहर्ता(आपदा)सहरसा /सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियन्ता,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी ,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर निदेशक ,स्वास्थ्य सेवाऐं ,कोशी प्रमण्डल ,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त के सचिव ,कोशी प्रमण्डल,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपि निदेशक प्रमुख ,स्वास्थ्य सेवाऐं ,बिहार ,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य विभाग ,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। ।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा।